



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्य, जयपुर

क्रमांक:— एफ13/1/3/वेबपो/वीएस/डीईएस/2017/59 - I
जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
समस्त

दिनांक:— 28-7-2017

विषय:— जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में E-Sign/डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करने के संबंध में।

सन्दर्भ:— निदेशालय का पत्रांक 56722 दिनांक 08.09.2016 एवं पत्रांक 61944 दिनांक 27.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधानमन्त्री महोदय की महत्वाकांक्षी 'डिजिटल इण्डिया' योजना के तहत राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप राज्य में कार्यरत समस्त रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में E-Sign अथवा डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करने के निर्देश सन्दर्भित पत्रों के द्वारा प्रसारित किए गये थे। इसके उपरान्त भी कुछ रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) द्वारा E-Sign अथवा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अपितु मैन्युअल हस्ताक्षर से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं जो कि राज्य सरकार के निर्देशों एवं I.T. Act 2000 के नियमों की अवहेलना है, साथ ही रजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार अधिनियम, 1969 की धारा 7 के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों एवं दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना भी दर्शाता है। प्रमुख शासन सचिव, आयोजना द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.07.2017 के पश्चात्, दिनांक 01.08.2017 की तिथि उपरान्त ई-साईन/डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र ही वेब पोर्टल पहचान पर जारी किया जाना सम्भव होगा तथा मैन्युअल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाना पूर्णतः निषेध होगा एवं वेबपोर्टल 'पहचान' पर मैन्युअल हस्ताक्षर की सुविधा दिनांक 31.07.2017 के पश्चात् समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में समस्त रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को राजकार्य में उक्त लापरवाही नहीं दोहराये जाने के संबंध में पाबन्द करें एवं निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के विरुद्ध जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियम 2000 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा रजिस्ट्रार द्वारा मैन्युअल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में आप भी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(डॉ.ओम प्रकाश वेर्मा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:— एफ.13/1/3/ वेबपो/वीएस/डीईएस/2013/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर, जिला.....
3. जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम.....
4. श्री अमित अग्रवाल, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, जयपुर।
5. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी (जन्म—मृत्यु), समस्त।

उप निदेशक / (जीवनांक)